बाज़ार में अस्वीकृत दवा मिश्रणों की भरमार

प्लॉस मेडिसिन में प्रकाशित एक ताज़ा अध्ययन से पता चला है कि भारत में दवाइयों के मिश्रणों की बिक्री काफी अनियंत्रित ढंग से हो रही है। मुंबई, पुणे व लंदन के शोधकर्ताओं को ऐसी दवाइयों की बिक्री के प्रमाण मिले हैं जिन्हें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की स्वीकृति नहीं मिली है। यह संगठन भारत में औषधियों व चिकित्सा उपकरणों के मानक तय करने वाली संस्था है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में चार औषधि समूहों को शामिल किया थाः दर्द निवारक, मधुमेह नियंत्रक, दुश्चिंता/अवसाद की दवाइयां और सायकोसिस की दवाइयां।

प्रायः दो-तीन दवाइयों को मिलाकर मिश्रण तैयार किए जाते हैं जिन्हें फिक्स्ड डोज़ मिश्रण (एफडीसी) कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एफडीसी की उत्पादन लागत कम होती है, इनका वितरण आसान होता है और मरीज़ों के लिए इनका सेवन भी आसान होता है क्योंकि एक ही गोली में दो-तीन दवाइयां होती हैं। इसके अलावा मिश्रित एंटीबायोटिक के उपयोग से सूक्ष्मजीवों में प्रतिरोध विकसित होने की संभावना भी कम होती है। अलबत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस सम्बंध में भी स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए हैं कि किन दवाइयों के और किन परिस्थितियों में एफडीसी को बाज़ार में लाया जा सकता है।

शोधकर्ताओं ने वर्ष 2007 से 2012 के दरम्यान एफडीसी की बिक्री का मुआयना किया। उन्होंने यह भी पता किया कि उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी के कितने नुस्खे बाज़ार में हैं, चाहे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की स्वीकृति प्राप्त हो या न हो। बाज़ार में उपलब्ध सारे नुस्खों में 73 प्रतिशत गैर-स्टीरॉइड दर्द निवारक, 20 प्रतिशत मधुमेह नियंत्रण औषधियां, 81 प्रतिशत दुश्चिंता/अवसाद की दवाइयां और 70 प्रतिशत सायकोसिस की दवाइयां अस्वीकृत थीं। और इन नुस्खों में अलग-अलग दवाइयां मिलाई गई थी। अस्वीकृत नुस्खों में अस्वीकृत एफडीसी भी काफी सारे थे। जैसे गैर-स्टीरॉइड दर्द निवारकों में से 28 प्रतिशत अस्वीकृत नुस्खे एफडीसी थे।

टीम ने यह भी देखा कि उन्होंने भारतीय बाज़ार में जिन 175 नुस्खों का अध्ययन किया, उनमें से मात्र 14 एफडीसी यूके में और 22 एफडीसी यूएस में स्वीकृत थे। भारतीय बाज़ार में उपलब्ध कई नुस्खे अन्य देशों में प्रतिबंधित थे। जैसे निमेसुलाइड कई देशों में प्रतिबंधित है मगर भारत में यह 15 एफडीसी में मिलाया जाता है और इनमें से मात्र 1 ही केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा स्वीकृत है।

शोधकर्ताओं का मत है कि देश के कानून में अस्पष्टता की वजह से अस्वीकृत दवाइयों की बिक्री की इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है।

डॉक्टरों के पास जानकारी का अभाव भी एक कारण है। 2013 में 100 डॉक्टरों पर किए एक अध्ययन में पता चला था कि 81 प्रतिशत डॉक्टरों को मिश्रित दवाइयों की तार्किकता सम्बंधी कोई जानकारी नहीं थी। मात्र 47 प्रतिशत डॉक्टर ही भारत में प्रतिबंधित किसी एक एफडीसी का नाम बता पाए। यही स्थिति पिछले साल दंत चिकित्सकों के अध्ययन में भी सामने आई थी, मात्र 50 प्रतिशतही किसी प्रतिबंधित एफडीसी का नाम याद कर पाए थे।

2014 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 294 एफडीसी पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि संगठन की स्वीकृति के बगैर ही राज्य के अधिकारियों ने इनके उत्पादन व बिक्री को मंज़ूरी दे दी थी। निर्माताओं ने इस आदेश के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया और ये सारी दवाइयां बाज़ार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***